FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

बाबुलाल पुत्र बोदुराम जाति कुम्हार सा. खारड़िया तह. नावां — बनाम — ओमप्रकाश पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार वगै. सा. खारड़िया तह. नावां

किस्म मुकदमां : 212 आरटीए — मुकदमा नम्बर 0177/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
22.12.2023	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर 381, 382, 384, 533/380 कुल रकबा 2.67 हैक्टर भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नही करें एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 44 अप्रार्थीगण की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.01.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
9/1/24	पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त पत्रावली में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है तथा पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहते है इसलिए अपील विड्रोल खारिज किया जावें। अतः प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपील विड्रोल [illegible] किया जाता है। [illegible] से कमती पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] व दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) Signature Not Verified Digitally signed by Vishwamitra Meena Date: 2024.03.04 17:47:25 IST Reason: SelfAttested नावां (डीडवाना-कुचामन)	बाबुलाल Id. (हस्ताक्षर)